

14/01/21

पत्रावली बेशा हुआ अखिलता प्राचीया
 उपलब्ध बहापू प्रकरण सुनी गई प्राचीया
 ने प्रा० पर उक्तगत धारा 128 पर निल
 प्रकृत कर-अपनी स्वते दारी की गाम
 अकलितेजी का खेडा प० ह० नवावलगाट पादानी
 की आ. नं. 145 रकम 0.35 एवं आ. नं.
 145/329 रकम 0.03 वीला 2 रकम 0.38 हे
 की 0 पल्लरगदी कराने बाबत निवेदन किया
 विषयी संख्या 1, 3 उपलब्ध नहीं होने से
 इनके बिन्दु दिनांक 09/7/2018 को एक
 पत्रीय कार्रवाई के आदेश हुए एवं विषयी
 सं. 2 ने सहमति का जवाब प्रकृत किया
 हमने पत्रावली का अवलोकन कर अखिलता
 प्राचीया की बहापू पर मजबूत किया जैरवहाल
 आराजीयात प्राचीया की स्वते दारी की है
 प्राचीया का प्राप्ति पर स्वीकार योग्य है
 अतः प्राचीया की गाम अकलितेजी का खेडा
 प० ह० नवावलगाट पादानी स्थित स्वतेदारी
 की सुमि आराजी नम्बर 145 रकम 0.35 एवं
 145/329 रकम 0.03 वीला 2 रकम 0.38 हे
 की बिना किसी के कलेजे में दरबलन्दाजी किए
 सेटलमेन्ट नम्बो अनुसार पल्लरगदी कराने
 के आदेश दिए जाते हैं। पल्लरगदी शुल्क
 1000/- अक्षरे एक हजार रुपए प्राचीया से
 वसूल हो। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़
 को लिखा जाये। पालना लिपि प्राप्ति हो। पत्रावली
 केवल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

2019
00047

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

2

(श्याम सुन्दर विश्वादी)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)

